राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली विधान सभा

समाचार भाग–2

विधायी तथा अन्य मामलों से संबंधित सामान्य जानकारी

वृहस्पतिवार, 23 जुलाई, 2015/01, श्रावण, 1937 (शक)

संख्या–24

छठी विधान सभा के पहले सत्र के पाँचवे भाग का प्रारंभ

माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छठी विधान सभा के पहले सत्र का पाँचवा भाग मंगलवार दिनांक **28 जुलाई, 2015 को अपराह्न 02.00 बजे से विधान सभा सभागार, पुराना सचिवालय, दिल्ली–110054** में प्रारंभ होगा।

प्रश्नकाल नहीं होगाः

इस सत्र के दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा।

विशेष उल्लेख (नियम–280):

जो माननीय सदस्य नियम 280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामलों को जिस दिन/तिथि को उठाना चाहते है, प्रस्तावित विषय की सूचना उसी दिन पूर्वाह्न 11.00 बजे तक दे सकते हैं। प्रथम 10 सूचनाओं की प्राथमिकता निर्धारित करने हेतु बैलेटिंग प्रत्येक दिन पूर्वाह्न 11.15 बजे सचिव, विधान सभा के कक्ष में की जायेगी । माननीय सदस्यों से बैलेटिंग की प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अनुरोध किया जाता है ।

सदस्यों से अनुरोध किया जाता है कि वे **विशेष उल्लेख के पाठ को केवल 8-10 लाइनों तक ही सीमित रखें और सदन में उस विषय को उठाते समय केवल मूल पाठ हीं पढ़ें** । विषय केवल एक ही विभाग एवं एक मुद्दे से संबंधित होना चाहिए ।

दर्शक दीर्घा प्रवेश पत्रः

माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार दर्शक दीर्घा के प्रवेश पत्र जारी कराने हेतु आवेदन–पत्र जिस दिन के लिए प्रवेश पत्र चाहिए, उस दिन से एक कार्य दिवस पूर्व को अपराह्न 5.00 बजे तक अवश्य प्रस्तुत किये जाएं। उदाहरणार्थ 28/07/2015 को होने वाली सदन की बैठक के लिए दर्शक दीर्घा के लिए आवेदन पत्र पूर्व कार्य दिवस अर्थात् 27/07/2015 को अपराह्न 5.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे।

दर्शक दीर्घा में बैठने के लिए सीमित स्थान होने के कारण एक सदस्य को प्रत्येक बैठक के लिए दो से अधिक प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। दर्शक दीर्घा के लिए प्रवेश–पत्र सामान्यतः उसी दिन जारी नहीं किये जाएंगे।

सदस्यों से अनुरोध है कि वे केवल उन्हीं दर्शकों की सिफारिश करें जिनके चरित्र के बारे में वे भली-भांति जानते हैं और यह सुनिश्चित करें कि दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति न तो तालियाँ बजाए और न ही शोर मचाए।

टिप्पणी:

कृपया मोबाइल, अन्य संचार उपकरण एवं इलैक्ट्रोनिक उपकरण आदि सदन के बाहर ही रखें।

प्रसन्ना कुमार सूर्यदेवरा
सचिव

LEGISLATIVE ASSEMBLY OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

BULLETIN PART-II

(General information relating to legislative & other matters)
Thursday 23rd July, 2015/ 01 Shraavana 1937 (Saka)

No. 24

COMMENCEMENT OF THE FIFTH PART OF FIRST SESSION OF THE SIXTH LEGISLATIVE ASSEMBLY OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI:

Hon'ble Members are informed that the Fifth Part of First Session of the Sixth Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi will commence on Tuesday, the 28 July 2015 at 02.00 PM in the Assembly Hall, Old Secretariat, Delhi.

NO QUESTION HOUR:

There shall be no question hour during the session.

SPECIAL MENTIONS UNDER RULE 280:

Members who want to raise matters under Rule 280 may give notice of the same by 11.00 A.M on the date, on which the matter is proposed to be raised i.e. 28 July, 2015. Balloting for fixing *inter-se* priority for the first 10 notices will be held in the room of the Secretary at 11.15 AM on 28 July, 2015. Hon'ble Members are requested to participate in the balloting.

Members are requested to confine the text of the Special Mention to 8-10 lines only and not to deviate from the original text while raising the same on the floor of the House. The matter should relate to only one Department and raise only one issue.

VISITOR'S GALLERY:

As per direction of Hon'ble Speaker, Application forms for the issue of visitors' gallery passes must be submitted by 5.00 P.M. on the working day previous to the date for which the gallery passes are required. For example, application for the gallery passes meant for the upcoming sitting of the House on 28.07.2015 will be accepted up to 5.00 PM on the earlier working day i.e, 27.07.2015.

The seating capacity in the visitors' gallery being limited, not more than two passes shall ordinarily be issued to a member for each sitting. No admission cards for the Visitors Gallery will ordinarily be issued on the same day.

Members are requested to recommend issue of gallery pass only for those visitors whose antecedents are well known to them and ensure that no person in the visitor's gallery may clap or hoot.

NOTE:- CELLULAR PHONES, OTHER COMMUNICATION DEVICES AND ELECTRONIC GADGETS ETC MAY KINDLY BE KEPT OUTSIDE THE HOUSE

PRASANNA KUMAR SURYADEVARA
Secretary